**उत्तर प्रदेश शासन**
**सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2**
**संख्या-504/2025/2063/2025/27-2002-5-2025-2**
**लखनऊ :: दिनांक 10 नवम्बर, 2025**

## शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-466/2025/1530/2025/27-2002-5-2025-2 दिनांक 10.10.2025 के द्वारा अनपेक्षित आपातकालीन 211 (143+68) अदद नई परियोजनाओं की (उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की तकनीकी सलाहकार समिति की परिचालन द्वारा विशेष बैठक दिनांक-03.01.2025 द्वारा अनुमोदित) कुल लागत रू0 66,03,93,000.00 ( रू0 छियासठ करोड़ तीन लाख तिरानबे हजार मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025 -26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94-के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-07-अनपेक्षित आपातकालीन कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट व्यवस्था एकमुश्त (नई श्रेणी ) रू0 8000.00 लाख में से रू0 66,03,93,000.00 ( रू0 छियासठ करोड़ तीन लाख तिरानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गयी। उक्त आदेश के तालिका-1 के क्र0सं0-73,74 एवं 75 में खण्ड का नाम ''बाढ़ खण्ड अयोध्या'' के अंकित हो गया है।

अत: उक्त आदेश के तालिका-1 के क्र0सं0-73,74 एवं 75 में खण्ड का नाम ''बाढ़ खण्ड अयोध्या'' के स्थान पर ''बाढ़ कार्य खण्ड अयोध्या'' पढ़ा जाये एवं शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

**पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) प्रमुख अभियन्ता(परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(7) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, शासन।
(8) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0 (बाढ़), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(9) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(10) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(11) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(12) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(13) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(14) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
(15) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in